

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

कार्यालय आदेश संख्या.....30..... / 2026
सं०सं०-अ०नि० (02) 03 / 2026 / नि०सं०

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 270(24) दिनांक 10.02.2025 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश अदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, सुपौल को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के अन्तर्गत माँ की तबियत अचानक खराब हो जाने के कारण दिनांक 18.12.2025 से दिनांक 20.12.2025 तक कुल 03 (तीन) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।


28.1.26

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 03 / 2026 / नि०सं०...250

दिनांक...29/1/26

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सुपौल/मुख्य अभियोजक, सुपौल/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


28.1.26

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 03 / 2026 / नि०सं०...250

दिनांक...29/1/26

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


28.1.26
उप सचिव।

